चाय के 2 रु. ज्यादा लिए, प्रभुजी ने ठोंका 10 हजार का जुर्माना

इंदौर. ट्रैन के पैंट्री स्टाफ द्वारा एक यात्री को 7 रुपए की चाय 10 रुपए में देना महंगा पड़ गया। यात्री द्वारा रेलमंत्री सुरेश प्रभु को शिकायत करने पर रेलवे ने ठेकेदार पर 20 हजार का जुर्माना लगाया।

इंदौर के वंदना नगर निवासी हितेश कुमावत 10 जुलाई को ट्रेन नंबर 11028 से रेनीगुंटा से कल्याण जा रहे थे। अपने पीएनआर क्रमांक 4317776540 पर मौजूद हितेश ने पैंट्री में मौजूद वेंडर से चाय खरीदी।

जिस चाय का दाम 5 से 7 रुपए होना चाहिए, उसी चाय को वेंडर 10 रुपए में बेच रहा था। हितेश के विरोध दर्ज करवाने पर भी वेंडर ने चाय के दाम कम न करते हुए शिकायत दर्ज करवाने की धमकी दी। ऐसे में हितेश ने रेलवे की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाई।

शिकायत दर्ज होते ही रेलवे हरकत में आया और तत्काल जांच करवाई। बाद में हितेश को भेजे गए मेल के जरिये रेलवे ने बताया कि उसने संबंधित पैंट्रीकार लाइसेंसी ठेकेदार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

साभार- पत्रिका से